

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 345 /2022

उनवान

1-2 गोविन्द सिंह, नाहर सिंह, शंकर सिंह पुत्र शिशपाल सिंह राठौड़ निवासी शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- कुशल कंवर पत्नी प्रताप सिंह यादव निवासी आसीन्द रोड़ शाहपुरा
- 2-5 गणपत सिंह, गोविन्द सिंह, रणवीर सिंह, शकुन्तला पिता प्रताप सिंह यादव निवासी आसीन्द रोड़, शाहपुरा
- 6- हिन्दूड़ा पुत्र भागीरथ गुर्जर सेवनी तहसील शाहपुरा
- 7-13 किशन, खाना, देवी, भगवान, भोजा, मु. मोडी, मु. तुलसी पिता रेमता गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा
- 14- छोटूलाल पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा
- 15- नारायण पुत्र मांग्या गुर्जर निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा
- 16- मु. लाडू पत्नी मांगू निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा
- 17- राहुल पुत्र भगवान सिंह कानावत निवासी कोर्ट के सामने आदर्श नगर शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री नमन ओझा

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 21.09.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 273/976 रकबा 0.90 है0, 273 रकबा 2.30 है0 कुल किता 2 रकबा 3.20 हैक्टैयर के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2, 6 लगायत 12, 14, 15, 17 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 1, 3 लगायत 5, 13, 16 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 3.20 हैक्टैयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1300/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

१३

(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

१३

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा